न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

फर्द अहकाम

नाथीबाई बनाम रामकल्याण

किस्म मुकदमाः— मिसल नं0 57/2011 gcms no. 2011/00021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो किस हुक्म की तारीख में जारी हुये
27/01/2023	पत्रावली पेश हुई। बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी सांगोद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.07.2011 से अप्रसन्न होकर प्रार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय हाजा मे दिनांक 02.09.2011 को पेश की गई, जो दिनांक 12.09.2011 को दर्ज रजिस्टर की गई। वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी सांगोद ने मेरे खिलाफ एकतरफा कार्यवाही करते हुए दिनांक 27.04.2007 को जो निर्णय पारित किया है वह विधि विरूद्ध है। उपखण्ड अधिकारी सांगोद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.04.2007 को निरस्त किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो सम्मन नाथीबाई के नाम से जारी किया गया था, उसकी तामील भी व्यक्तिगत रूप से नाथीबाई को नहीं करवाकर उसके पुत्र मोडूलाल पर तामील करवाई गई है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के विरूद्ध है। वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी सांगोद द्वारा दिनांक 27.04.2007 को जो एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया था, उसको निरस्त कराने के लिये प्रार्थीया नाथीबाई द्वारा उपखण्ड अधिकारी सांगोद मे दिनांक 29.08.2008 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी के तहत पेश किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीया नाथीबाई ने निवेदन किया कि प्रार्थीया दिनांक 08.09.2006 से कई दिन पूर्व से अपने पुत्र रतनलाल के परिवार के साथ ग्राम पालक्या मे निवास कर रही थी जिसकी वजह से प्रार्थीया नाथीबाई को प्रकरण की कोई जानकारी नहीं थी। प्रार्थीया नाथीबाई वापिस ग्राम कुराडिया मे आकर निवास करने लग गई। प्रार्थीया ने निवेदन किया कि दिनांक 27.04.2007 को पारित आदेश को न्यायहित मे निरस्त नहीं किया गया तो इससे मौके पर वाद कारिता बढ़ेगी। अतः प्रार्थीया नाथीबाई द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जावे। उपखण्ड अधिकारी सांगोद ने अपने निर्णय दिनांक 25.07.2011 मे स्पष्ट कहा है कि प्रतिवादी की सम्यक रूप से तामील हुई है, इसके बावजूद प्रार्थीया उपस्थित नहीं हुई, अतः एकतरफा कार्यवाही	

सही व कानूनी है। प्रार्थीनी ग्राम कुराडिया मे ही निवास करती है इसके निवास स्थान पर उसके व्यस्क पुत्र मोड़ूलाल को तामील कराई गई है जो पूर्ण रूप से विधिक इतिला है। प्रार्थीनी ने विलम्ब क्षमा करने का जो प्रार्थना पत्र पेश किया है, उसमे उचित कारण नहीं बताया है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद द्वारा प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र टाईम बार्ड होने से खारिज किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद ने प्रार्थीनी नाथीबाई का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि जब उन्हे नोटिस प्रोपर व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं हुए। वाद मे हुए निर्णय दिनांक 27.04.2007 का पता लगते ही अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया। रेस्पोडेन्ट को भी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 स्वीकार किये जाने मे कोई आपत्ति नहीं है। अतः आदेश दिनांक 25.07.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील स्वीकार फरमायी जावे। अभिभाषक अपीलांट ने अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 25.07.2011 को निरस्त कर अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। जिससे अपीलांट नाथीबाई को जवाबदेही व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देकर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित हो सके।

रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 6 की तरफ से अधिवक्ता रविन्द्र खण्डेलवाल उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोडेन्टगण ने अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर कोई आपत्ति प्रकट नहीं की तथा बहस का समर्थन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्वक मनन किया । न्यायालय हाजा व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत वाद के निर्णय दिनांक 27.11.2007 मे जो 6 वादी है, के यहां प्रस्तुत अपील मे 6 रेस्पोडेन्ट है। स्वयं सभी वादी रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने कथन किया है कि पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो गया है तथा वे अधीनस्थ न्यायालय मे राजीनामा प्रस्तुत कर निस्तारण करवाना चाहते है। इसी कारण अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 ने अधिवक्ता अपीलांट की बहस का समर्थन किया तथा अपील को स्वीकार करने का समर्थन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार नोटिस तामील स्वयं प्रतिवादी नाथीबाई को नहीं होकर उसके पुत्र मोड़ूलाल को होना अंकित किया है। अपीलांट का कथन है कि वह अपने पुत्र मोड़ूलाल के पास नहीं रहती थी, तथा

स्वयं रेस्पोडेन्ट ने भी इसका समर्थन किया है। ऐसी स्थिति मे यह माना जा सकता है कि स्वयं अपीलांट को नोटिस तामील नहीं हुए, अतः वह समय पर अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत नही हो सकी। जब स्वयं वादीगण रेस्पोडेन्टगण भी उन्हे सुनवाई का अवसर दिये जाने का समर्थन करते है तथ अपीलांट प्रतिवादिया के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी को स्वीकार करने मे रेस्पोडेन्टगण ने कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। चूंकि रेस्पोडेन्टगण द्वारा कोई आपत्ति प्रकट नहीं की तथा अपीलांट की बहस व कथनों का समर्थन किया, इससे यह स्पष्ट है कि वादीगण रेस्पोडेन्टगण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 222/2016 मे पारित निर्णय दिनांक 27.11.2007 को निरस्त करवाकर अपीलांट प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर दिये जाने पर सहमत है। ऐसी परिस्थिति मे हमारे विनम्र मत अनुसार अपीलांट की अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाना उचित है, ताकि प्रकरण का पक्षकारान के मध्य अंतिम रूप से निस्तारण हो सके तथा वाद–बहुलता नहीं बढ़े।

चूंकि प्रकरण काफी पुराना है तथा उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 25.07.2011 को निरस्त करवाना चाहते है। अतः ऐसी स्थिति मे उभयपक्षकारान समय पर अधीनस्थ न्यायालय मे पेश हो तथा अधीनस्थ न्यायालय समयबद्ध रूप से प्रकरण का निस्तारण करें।

अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाप्ता दीवानी स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद के मूल प्रकरण संख्या 222/2006 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.11.2007 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह प्रकरण संख्या 222/2006 मे अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, विधिअनुसार , नवीन सिरे से निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय न्यायालय मे सुनवाई हेतु दिनांक 03.03.2023 को उपस्थित रहे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद